राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक : प.8(6)वित्त/राजस्व/2016 लूज़ जयपुर, दिनांक : 07 FEB 2019

कार्यालय आदेश

राजस्थान लेखा सेवा की संस्थानिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे अधिकारीगण, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के विज्ञप्ति क्रमांक प. 11(1)रीपा/परीक्षा/विभागीय/पपै–वापका/19/19519–45 दिनांक 23.01.19 के क्रम में संस्थानिक परीक्षा हेतु संलग्न आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा कार्यक्रमानुार अपने विभागाध्यक्ष या इस कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी के माध्यम से सीधे हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को भिजवायें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

Sd/-
(एजाज नबी खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अति.निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश वित्त विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
2. पूर्व राजस्थान लेखा सेवा की संस्थानिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे अधिकारीगण।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिदेशक एवं पंजीयक विभागीय परीक्षाएं (समस्त राज्य सेवाएं)

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान ,

जवाहरलाल नेहरू मार्ग ,जयपुर–302017

[illegible] सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 660
दिनांक 29/01/19

क्रमांकः प.11(1)(रीपा/परीक्षा/विभागीय/पपै–वापका/2019/ 19519-45 दिनांकः 23/1/2019

विज्ञप्ति

जनवरी, 2019

राजस्थान नागरिक सेवाएं (विभागीय परीक्षाएं) नियम 1959 के नियम 7(4) के अनुसरण में वर्ष 2019 में विभागीय परीक्षाएं निम्नांकित कार्यक्रमानुसार आयोजित की जायेगी। परीक्षा समबन्धित अन्य विवरण भी इसमें दिया हुआ है।

क्र. सं.	विभाग का नाम	परीक्षा की तिथियां	प्रश्न पत्र	परीक्षा के लिए संस्थान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	राजस्थान राजपत्र जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम प्रकाशित हुआ है।
01	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबन्धकों की विभागीय परीक्षा	13.3.2019 14.3.2019 15.3.2019	पहला दूसरा तीसरा	01.02.2019	—
02	पूर्व राज्य आधारभूत परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे अधिकारियों की आधारभूत परीक्षा	26.3.2019 27.3.2019	दूसरा चौथा	08.02.2019	—
03	पूर्व राजस्थान प्रशासनिक सेवा की संस्थानिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे अधिकारियों की संस्थानिक परीक्षा	07.06.2019 10.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 13.06.2019	पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा	18.04.2019	—
04	पूर्व राजस्थान लेखा सेवा की संस्थानिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे अधिकारियों की संस्थानिक परीक्षा	07.06.2019 10.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019	पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा	18.04.2019	—
05	नगर नियोजन विभाग के सहायक नगर नियोजक (पदोन्नती एवं सीधी भर्ती)	18.6.2019 19.6.2019 20.6.2019 21.6.2019	पहला दूसरा तीसरा चौथा	02.05.2019	18.4.1991 भाग–7 पृष्ठ संख्या 01–3
06	बीमा विभाग के सहायक निदेशक	25.6.2019 26.6.2019 27.6.2019 28.6.2019	पहला दूसरा तीसरा चौथा	06.05.2019	23.7.1970 भाग–7 पृष्ठ संख्या 630
07	आबकारी विभाग के सहायक आबकारी (निरोधक दल)	02.7.2019 03.7.2019 04.7.2019 05.7.2019	पहला दूसरा तीसरा चौथा	13.05.2019	16.3.1992 भाग–7 पृष्ठ संख्या 1663–64
08	खान एवं भू–विज्ञान विभाग के सहायक खनिज अभियन्तां	09.7.2019 10.7.2019 11.7.2019 12.7.2019	पहला दूसरा तीसरा चौथा	20.05.2019	6.11.1969 भाग–7 (बी) पृष्ठ संख्या 867–69
09	श्रम कल्याण विभाग के श्रम कल्याण अधिकारी	16.7.2019 17.7.2019 18.7.2019 19.7.2019	पहला दूसरा तीसरा चौथा	29.05.2019	19.1.1967 भाग–7(ख) पृष्ठ संख्या 944
10	खान एवं भू–विज्ञान के भू–वैज्ञानिक	23.7.2019 24.7.2019 25.7.2019 26.7.2019	पहला दूसरा तीसरा चौथा	03.06.2019	6.11.1969 भाग–7 पृष्ठ संख्या 865–866

Contd.

11	फैक्ट्रीज एवं बॉयलर्स विभाग के कारखाना निरीक्षक	06.8.2019 07.8.2019 08.8.2019 09.8.2019	पहला दूसरा तीसरा चौथा	12.06.2019	18.5.1972 भाग–7 (क) पृष्ठ संख्या 195–97
12	सहकारी विभाग के सहायक रजिस्ट्रार	19.8.2019 20.8.2019 21.8.2019 22.8.2019	पहला दूसरा तीसरा चौथा	28.06.2019	11.10.1962 भाग–2(क) पृष्ठ संख्या 97
13	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सांख्यिकी अधिकारी	26.8.2019 27.8.2019 28.8.2019 29.8.2019 30.8.2019	पहला दूसरा. तीसरा चौथा पांचवा	01.07.2019	2.10.1975 भाग–7 पेज पृष्ठ संख्या 383–85
14	वाणिज्यक कर विभाग के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	16.9.2019 17.9.2019 18.9.2019 19.9.2019 20.9.2019 23.9.2019 24.9.2019	पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवॉ	23.07.2019	12.3.1981 भाग–2 (क) पृष्ठ संख्या 86–88 एवं 20.6.2018 भाग–7 विशेषांक पृष्ठ संख्या 21–22
15	वन विभाग के सहायक वन संरक्षक	23.9.2019 24.9.2019 25.9.2019 26.9.2019 27.9.2019 प्रश्न पत्र छः के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से ग्राम आवंटन किया जायेगा।	पहला दूसरा तीसरा पांचवा चौथा	05.08.2019	3.12.1964 भाग–4 (ग) पृष्ठ संख्या 525–29
16	नियोजन विभाग के सहायक नियोजन अधिकारी	09.10.2019 10.10.2019 11.10.2019	पहला दूसरा तीसरा	22.08.2019	30.12.1965 भाग–7(बी) पृष्ठ संख्या 1341–1344
17	उधोग विभाग के राज्य सेवा. अधिकारी	14.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 22.10.2019	पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवॉ	09.08.2019	30.3.1967 भाग–7(ख) पृष्ठ संख्या 259–64
18	मूल्यांकन विभाग के जिला मूल्यांकन अधिकारी	05.11.2019 06.11.2019 07.11.2019 08.11.019	पहला दूसरा तीसरा चौथा	20.09.2019	12.8.1982 भाग–7 पेज पृष्ठ संख्या 188–189
19	ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा अधिकारी	13.11.2019 14.11.2019 15.11.2019	पहला दूसरा तीसरा	27.09.2019	27.1.2011 भाग–7 विशेषांक
20	परिवहन विभाग के जिला परिवहन अधिकारी	18.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 21.11.2019	पहला दूसरा तीसरा चौथा	06.09.2019	26.12.1985 भाग–7 पृष्ठ संख्या 457–58
21	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियन्ता (सिविल / यांत्रिक)	25.11.2019 26.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 29.11.2019	पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा	09.10.2019	13.1.1972 भाग–7 पृष्ठ संख्या 1383–86 एवं 30.10.1975 पृष्ठ संख्या 427–28 एवं भाग 2(क) 5.5.83 पृष्ठ संख्या 11

Contd.

22	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक एवं समाज कल्याण अधिकारी	03.12.2019 04.12.2019 05.12.2019	पहला दूसरा तीसरा	25.10.2019	5.3.1964 भाग–2 (क) पृष्ठ संख्या 414–415
23	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के सहायक अधीक्षक	09.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 13.12.2019	पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा	24.010.2019	25.4.1974 भाग–ख पृष्ठ संख्या 152

(सभी परीक्षाएं प्रातः 10.30 बजे से प्रारम्भ होगी)

नोटः–**क्र.सं. 16** वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों की विभागीय परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र–6 (सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट) के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से ग्राम आवंटन किया जायेगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट संबंधित परीक्षार्थी द्वारा सीधे ही संस्थान को परीक्षा समाप्ति की अवधि से **45 दिवस** के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रेषित करनी होगी। उक्त समयावधि में सर्वे रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर यथा समय परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जावेगा।

उक्त नियमों के अन्तर्गत जो अभ्यिर्थी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, वे अपना आवेदन–पत्र अपने विभागाध्यक्ष को समय पर भेज देवे ताकि इनकी पात्रता की जॉच आदि करने के पश्चात विभागाध्यक्ष ऐसे अभ्यर्थियों के समस्त आवेदन पत्र जिन्हें परीक्षा में बैठने के लिए पात्र पाया गया हो उन्हे निर्धारित अंतिम तिथी तक इस संस्थान को भिजवा सके। सीधे भेजे गये आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का कोई नवीन बैच आने पर तिथि अलग से तय की जावेगी।

(गुरजोत कौर)
महानिदेशक एवं पंजीयक

कमांकः प.11(1)(रीपा/परीक्षा/विभागीय/पपै–वापका/2019/ 19519-45 दिनांकः 23/1/2019

1. ——————————————————————————————————

——————————————————————————————————

को (कम संख्या 01 व 05–23)मय निर्धारित आवेदन पत्र की रिक्त प्रति भेजकर अनुरोध है कि इस परीक्षा कार्यक्रम के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित करने की व्यवस्था करायें। साथ ही संबंधित अधिकारियों को उक्त तिथि जिस तक आवेदन पत्र आप अपने कार्यालय में जांच हेतु प्राप्त करना चाहते हो उसका भी उल्लेख कर देवें। आवेदन पत्रों की जांच आदि की प्रक्रिया में जितना समय पूर्ण आवेदन पत्र इस संस्थान को प्राप्त होने में लगने की सम्भावना हो उन सबका ध्यान रखते हुए ही वह तिथि तय करें। संस्थान द्वारा विभागाध्यक्ष या इस कार्य हेतु उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के माध्यम से भिजवाये गये आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जावेगा। संबंधित अधिकारियों द्वारा सीधे प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4) शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर को मय निर्धारित आवेदन–पत्र भेजकर अनुरोध है कि इस परीक्षा कार्यक्रम के बारे में संबंधित अधिकारियों (क्रम संख्या 02– 03) को सूचित करने की व्यवस्था करायें। आवेदन–पत्र विभागाध्यक्ष या इस कार्य हेतु उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के माध्यम से भिजवाने का श्रम करावें। संबंधित अधिकारियों द्वारा सीधे प्रेषित आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

3. संयुक्त शासन सचिव (वित्त) राजस्व विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर को मय निर्धारित आवेदन–पत्र भेजकर अनुरोध है कि इस परीक्षा कार्यक्रम के बारे में संबंधित अधिकारियों (क्रम संख्या 04) को सूचित करने की व्यवस्था करायें। आवेदन–पत्र विभागाध्यक्ष या इस कार्य हेतु उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के माध्यम से भिजवाने का श्रम करावें। संबंधित अधिकारियों द्वारा सीधे प्रेषित आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

4. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर को टंकित प्रति भेजकर लेख है कि कृपया इस विज्ञप्ति को राजस्थान असाधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें तथा प्रकाशन के उपरान्त इसकी दो प्रतियां रिकार्ड हेतु संस्थान को भिजवाने का श्रम करावें।

5. रक्षित पत्रावली

(राधेश्याम डेलू)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं
प्रभारी अधिकारी(परीक्षा)

सूची 1

विभागीय परीक्षा मे सम्मिलित होने के लिये आवेदन पत्र

नियम 9(1) देखें

1. आवेदक का नाम (साफ अक्षर में)

2. पिता का नाम

3. जन्म तिथि

4. सेवा का नाम (नियुक्ति आदि परिविक्षाधीन स्थाई/अस्थाई, कृपया इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करें)

5. पद एवं नियुक्ति का स्थान

6. यदि विभागीय परीक्षा में नियमों के अन्तर्गत पहले कभी बैठे हो तो तिथि एवं जिन प्रश्न पत्रो मे उतीर्ण हो गये हो, उल्लेख करें ।

7. गत परीक्षा की पंजीयन संख्या यदि कोई हो तो

8. सेवा का नाम जिसकी विभागीय परीक्षा में बैठना चाहते है।

9. प्रश्न–पत्र जिसमें बैठना चाहते है। (इसका स्पष्ट उल्लेख करें)

   1.
   2.
   3.
   4.
   5.
   6.
   7.

दिनांक –

आवेदक के हस्ताक्षर एव ————————
पद————————

पूरा पता ————————
मो0 नम्बर नं0

हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाकर आवेदन पत्र एवं पंजीयक विभागीय परीक्षायें (समस्त राज्य सेवायें) एवं निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर–302017 को प्रेषित है।

आवेदक के उच्च अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं पद

नोट– आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश पीछे दिये गये है । जिस प्रश्न पत्र में छूट चाहे उसका क0स0 9 मे स्पष्ट उल्लेख करें ।

कार्यालय पंजीयक विभागीय परीक्षायें (समस्त राज्य सेवायें) एवं निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर
राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर—302017

क्र0 सं0————————————— पंजीयन संख्या———————————————

श्री————————————————————जो———————————————————
———में है और इस समय ——————————————————के पद पर कार्य कर रहें है, को विभागीय परीक्षा में बैठेने की अनुमति प्रदान की जाती हैं । जो कि दिनांक ———————————————से ————————————————तक हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर मे होगी ।

उनकी पंजीयन संख्या ऊपर अंकित की गई है । भविष्य मे पत्र व्यवहार करते समय इसका उल्लेख करना आवश्यक है।

पंजीयक
विभागीय परीक्षायें (समस्त राज्य सेवायें) एवं
निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य
लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर—302017

<u>आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देश –</u>

1. आवेदन पत्र प्रार्थी को स्वंय अपने हाथ से स्याही से भरना चाहिये ।
2. अपना नियुक्ति स्थान पूर्ण एवं स्पष्ट लिखें जिससे रोल न0 प्राप्त होने मे विलम्ब न हो ।
3. उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित करने से पूर्व उसमें की गयी पूर्तियो की सत्यता की जॉच कर लेनी चाहिये ।
4. हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक मे पूरा नाम लिखना चाहिये ।
5. पंजीयक विभागीय परीक्षाऐं से प्राप्त रोल न0 स्लिप नोट संभाल कर रखना चाहिये । इस परीक्षा मे प्रवेश पाने के लिये परीक्षा अधीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत करनी होगी ।
6. परीक्षा मे बैठने वाले परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र (टंकित, मुद्रित, फोटोस्टेट) तथा उत्तर—पुस्तिकायें दी जावेगी। अन्य लेखन सामग्री स्वंय का लानी होगी ।
7. जिन प्रश्न पत्रो के नियम, आदेश के उपयोग की छूट है । उसमें केवल वही नियम, आदेश की इजाजत होगी जिनके साथ टिप्पणी नहीं होगी ।
8. आवेदन पत्र के क्र0स0 4 के सामने स्पष्ट रूप से यह भी बताना चाहिये कि विभागीय परीक्षा के लिये किस प्रावधान के अनुसार विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र है ।
9. जिन प्रश्न पत्रो से छूट चाही है उनके लिये आवश्यक प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ भेजें, जैसे हिन्दी प्रश्न पत्र से छूट चाहने के लिये हाई स्कूल एवं उच्च परीक्षा हिन्दी विषय सहित उत्तीर्ण कर लेने के परीक्षा प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ भेजे ।
10. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।